बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार पटना।

पत्रांक :– एस.बी.टी.ई.(एस.)–01/2014– 1192 /पटना, दिनांक :– 20/3/2014

प्रेषक,

डा0 चन्द्र शेखर सिंह,
परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
टेक्नोलॉजी भवन, पटना–15.

सेवा में,

प्राचार्य,
1. सभी निजि पोलिटेकनिक,
2. पाटलीपुत्रा इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, पटना।

विषय :– सत्र 2013–14 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकित छात्र/छात्राओं के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

सत्र 2013–14 में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से संबंधित राज्य अन्तर्गत डिप्लोमा स्तरीय सभी निजी पोलिटेकनिको के प्रथम सेमेस्टर में विभागीय निदेश के आलोक में BCECEB द्वारा भरे जाने वाले 50% सिटों को आरक्षित रखते हुए संस्थानीय स्तर पर नियमानुसार AICTE द्वारा निर्धारित सीट का 50% पर नामांकित छात्र/छात्राओं से निबंधन आवेदन पत्र ऑनलाईन भरवाकर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय। निर्धारित शुल्क के रूप में प्रति छात्र 350/– (तीन सौ पचास रूपया) के दर से वसूल कर सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन पत्र के साथ दिनांक 31/03/2014 तक पर्षद में भेज दिया जाय। निर्धारित तिथि के बाद प्राचार्य द्वारा समुचित कारण के साथ प्रति छात्र 200/– (दो सौ रूपया) प्रति दिन विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 11/04/2014 तक निबंधन पत्र पर्षद में स्वीकार किया जायेगा। इसके बाद प्राप्त निबंधन आवेदन पत्रों पर पर्षद द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। बिलम्ब से प्राप्ति तिथि के बाद या सावधिक/ सामयिक परीक्षा के बाद (जो भी पहले हो) प्राप्त विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन आवेदन आवेदन वाले छात्र का निबंधन, प्रमाणिक कारण पाये जाने पर विशेष परिस्थिति में हीं की जायेगी, परन्तु ऐसे छात्र उस सत्र के परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होगें।

छात्रों को ऑनलाईन प्रक्रिया में आने वाले कठिनाईयों को संस्थान द्वारा ही दूर किया जायेगा। संस्थान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के प्रभारी पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षण हेतु पर्षद कार्यालय में दिनांक 28/03/2014 को भेजने की कृपा की जाय। निबंधन आवेदन पत्र पर संबंधित छात्र के नामांकन आदेश पर चिपके छाया चित्र के निगेटिव का ही छायाचित्र अपलोड करवाई जाय, जो प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगा। अभिप्रमाणित करने के क्रम में प्राचार्य/पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छाया चित्र तथा आधा आवेदन पत्र पर होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ सिर्फ नामांकन आदेश एवं मैट्रीक के मूल प्रमाण पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति हीं आवश्यक रूप से संलग्न कर भेजा जाय। जिससे कि समय पर निबंधन किया जा सकें। निबंधन आवेदन पत्र को अग्रसारित करने के पूर्व निम्नांकित तथ्यों की जॉच अवश्य कर लिया जाय।

(1) निबंधन आवेदन पत्र पर अंकित छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि नामांकन आदेश एवं मैट्रीक के मूल प्रमाण पत्र के अनुरूप है। निबंधन आवेदन पत्र पर अंकित शाखा का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शाखा के अनुरूप हो।

कृ०पृ०ऊ०

(2) निबंधन आवेदन पत्र पर सटे छाया चित्र का मिलान संबंधित छात्र/छात्रा एवं नामांकन अभिलेख पर मुद्रित छाया चित्र एवं आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर के जाँच के बाद ही छाया चित्र अभिप्रमाणित किया जाय।

(3) आवेदित छात्रों से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाय।

(4) नामांकन आदेश एवं मैट्रीक के मूल प्रमाण पत्र माइग्रेशन प्रमाण पत्र का अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।

विश्वासभाजन,

परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

नोट :– सभी छात्र/छात्राओं से शुल्क की राशि वसूल कर एक ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा पर्षद कार्यालय को भेजा जाय।